रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 मई, 1985/28 वैशाख, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

अधिसूचना

धर्मशाला, 2 मई, 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0-5/36-1637-38.—क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार, पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4) 16/76-XI दिनांक 4 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत इस जिला के विकास खण्ड नगरोटा सूरियां तथा देहरा की ग्राम सभा क्रमशः धमेटा तथा मुराणी का पुनर्गठन किया गया है।

अतः मैं, टी0 सी0 जनारथा, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला कांगड़ा, इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0-के0 जी0 आर0-5/36-1126, दिनांक 10 अप्रैल, 1985 में वर्णित नगरोटा सूरियां विकास खण्ड के क्रम सं0 6 पर ग्राम सभा धमेटा तथा विकास खण्ड देहरा के क्रम सं0 30 पर ग्राम सभा मुराणी के सम्मुख निर्धारित किए सदस्यों की संख्या को रद्द करता हूं।

टी0 सी0 जनारथा,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा।

कार्यालय उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू

शुद्धि-पत्र

कुल्लू, 2 मई, 1985

पृष्ठांकन संख्या पी0 सी0 एच0(कु0)-क(1)-16/83-1944-50.--इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0(कु0)-क(1)-16/83, दिनांक 6-4-85 में विकास खण्ड आनी की क्रमांक 7 व 11 पर ग्राम पंचायत कराड़ व कुंगश की जनसंख्या खाना नं0 3 में 1981 व 1954 के बजाय 2113 व 2044 क्रमश: पढ़ी जाए तथा खाना नं0 4 में सदस्यों की संख्या 7, 7 के बजाए 9, 9 पढ़ी जाए।

बी0 के0 भटनागर,
उपायुक्त, कुल्लू।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 6 मई, 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)-21/79.--क्योंकि ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, तहसील सरकाघाट के प्रधान श्री सिधु राम 1-4-76 से 31-3-83 तक पंचायत निधि के अपहरण/गबन के निम्न प्रकार से दोषी पाए गए हैं:--

1. मु0 300 रुपए जो ग्राम निधि से भरौरी स्कूल के प्रांगण निर्माण हेतु विकास खण्ड कार्यालय, धर्मपुर में 11-3-76 को जमा किए गए थे यह राशि 12-5-76 को विकास खण्ड अधिकारी से प्राप्त होकर वापिस करने के उद्देश्य से ली गई थी। यह सभा निधि की राशि थी जिसे किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाना था। अत: उन्होंने मु0 300 रुपए अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे।

2. मु0 234.50 रुपए 12-4-82 से 15-12-83 तक रख कर उनका दुरुपयोग किया।

3. मठी बनवार टेक की मजदूरी 4-5-76 को मु0 650 रुपए श्री पूर्ण सिंह को दी गई बताई जाती है परन्तु उसका कहीं भी मस्ट्रोल नहीं बनाया गया तथा रसीद से भी यह स्पष्ट नहीं कि मजदूर ने कितने दिनों तक तथा किस दर से कार्य किया।

4. पंचायत रिहायशी क्वार्टर के मस्ट्रोल नं0 29, मास मई, 76 पर श्री शाली राम मु0 88 रुपए का बिना अदायगी व्यय दिखाया है जिससे स्पष्ट है कि 88 रुपए का गबन किया गया है।

5. मेला आयोजन पर 167.70 रुपए जलपान इत्यादि पर व्यय किए गए जो सभा निधि से उचित व्यय नहीं समझा जाता, अत: यह व्यय आपत्तिजनक है।

6. अंकेक्षण-पत्र के अनुसार 139.64 रुपए अधिक यात्रा भत्ता प्राप्त किया गया।

7. अन्बरा क्वाल टैंक की मजदूरी श्री पूर्ण चन्द को मु0 508.10 रुपए, मछली टैंक की मजदूरी श्री गोविन्द राम को मु0 1000 रुपए दिनांक 25-11-80 को तथा रोडा सिंचाई टैंक की मजदूरी श्री गोविन्द राम को मु0 1100 रुपए दिनांक 1-5-81 व 8-7-81 को मु0 400 रुपए तथा 20-7-81 को 2696.48 रुपए दिए हैं। न तो इस खर्च का कोई रिकार्ड रखा गया है और न ही कोई मस्ट्रोल बनाया गया है। इस लिए सभा निधि के दुरुपयोग में दोषी पाया गया।

8. स्कूल मैदान/गेट के मस्ट्रोल नं0 51, मास 7/80 पर श्री भवरू राम को मु0 18075 रुपए का भुगतान नहीं हुआ और रोकड़ में डाल दिया गया।

9. मेला नलवाड़ झाड़ियों की कटवाई के 10-4-81 को श्री नीता राम को 97 रुपए तथा श्री टेक चन्द को मु0 74 रुपए बिना मस्ट्रोल के अदा किए।

10. प्रधान ने सहकारी बैंक से चैक नं0 204308, दिनांक 9-3-79 को मु0 480 रुपए निकाले परन्तु राशि को रोकड़ में जमा न करके इसका अपहरण किया।

और क्योंकि इन आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री सिन्धु राम, प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर के विरुद्ध आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत जांच कराने हेतु जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र जिलाधीश, मण्डी को प्रेषित कर देंगे।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित